जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2020/palm/03 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | सोमवार, 28 जून 2021

मी लॉर्ड!!!

भाग-2

जानबूझ कर की गयी गलती भ्रष्टाचार कहलाती है!!!

भूखंड संख्या B-1,2 हनुमान नगर,सिरसी रोड पर खोली गयी नयी शराब

क्या आबकारी विभाग के विद्वान अधिकारी माननीय उच्च न्यायालय को भी सुगम यातायात का अर्थ समझाने का प्रयास करेंगे या इस दुकान को यहाँ से हटा देंगे???

आबकारी विभाग के अधिकारी पहुचा रहे एक ठेकेदार विशेष को फायदा!!!

पता:-S1,झारखंड अपार्टमेंट,सगत सिंह मोड,जनरल सगत सिंह मार्ग,खातीपुरा-302012 मोबाइल:-9828346151

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी

सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

आबकारी अधिकारी खुद ही उड़ा रहे राजस्थान आबकारी नियम 75 का मखौल|

राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75 मे स्पष्ट किया गया है की किसी भी स्कूल कॉलेज,अस्पताल,सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान,हरिजन बस्ती,लेबर कॉलोनी के 200 मीटर के दायरे मे कोई भी शराब की दुकान नहीं लगाई जाएगी|साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि स्कूल कॉलेज से भिन्न शिक्षण संस्थान होने की स्थिति मे उनके बंद होने के कम से कम एक घंटे बाद ही उस शराब की दुकान को खोली जाएगी|

ऊपर की तस्वीर से स्पष्ट है कि भूखंड संख्या B-1,2 हनुमान नगर,सिरसी रोड पर खोली गयी इस दुकान से सटे हुए प्लॉट मे बरसो से एलन कोचिंग संस्थान का कोचिंग इंस्टीट्यूट, आरके यादव मेमोरियल अस्पताल और उसके बाद थार हॉस्पिटल स्थित है|परंतु आबकारी के जिम्मेदार अधिकारियों को इनके बीच की दूरी 200 मीटर नजर नहीं आती|

आबकारी विभाग के जवाब से समझिए भ्रष्टाचार का खेल

हमारे द्वारा इस मामले को आबकारी विभाग के संज्ञान मे लाने पर विभाग के अधिकारी अपने जवाब मे फरमा रहे है कि एलन कोचिंग संस्थान,आरके यादव मेमोरियल अस्पताल और थार हॉस्पिटल के मुख्य द्वार से मदिरा दुकान की दूरी यातायात के सुगम मार्ग से 200 मीटर की परिधि से बाहर है|

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

कार्यालय आबकारी निरीक्षक वृत्त पश्चिम, जयपुर शहर

क्रमांक :- 36/७ दिनांक :- 13/05/2021

श्रीमान जिला आबकारी अधिकारी,
जयपुर शहर।

विषय :-राजस्थान सम्पर्क पर प्राप्त शिकायत संख्या 05210279969696 की जांच के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयार्न्तगत प्राप्त परिवाद के संबंध में निवेदन है कि शिकायत में अंकित ALLEN CAREER INSTITUTE, अवस्थिति-बी-3, बी-4, सिरसी रोड़, हनुमान नगर, जयपुर R.K. YADAV MEMORIAL HOSPITAL AND THAR HOSPITAL अवस्थिति- बी-6, सिरसी रोड़, हनुमान नगर, जयपुर तथा THAR HOSPITAL के मुख्य द्वार से मदिरा दुकान की दूरी यातायात के सुगम मार्ग से 200 मीटर की परिधी से बाहर है। शिकायत में अंकित दूरभाष नम्बर पर सम्पर्क कर शिकायतकर्ता को अवगत करां दिया गया है। श्री हनुमान पूनिया, अनुज्ञाधारी कम्पोजिट मदिरा दुकान नं. 02 वार्ड संख्या 52(G), 55(G) अवस्थित-बी-1,बी-2, हनुमान नगर, सिरसी रोड़, जयपुर की मदिरा दुकान आबकारी विभाग द्वारा नियमानुसार स्वीकृत की जाकर संचालित की जा रही है। रिपोर्ट श्रीमानजी की सेवा में सूचनार्थ सादर प्रेषित है।

भवदीया

(इन्दु यादव)
आबकारी निरीक्षक
वृत्त पश्चिम, जयपुर शहर

हमारी शिकायत पर आबकारी विभाग द्वारा दिया गया जवाब,जिसमे वह सुगम यातायात के अनुसार इस शराब की दूरी कोचिंग संस्थान,अस्पताल से 200 मीटर अधिक बता रहे है|

52D:\Namo 2020\Bandobast 2021-22\complaints 2021-22\Rajasthan Sampark.docx

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

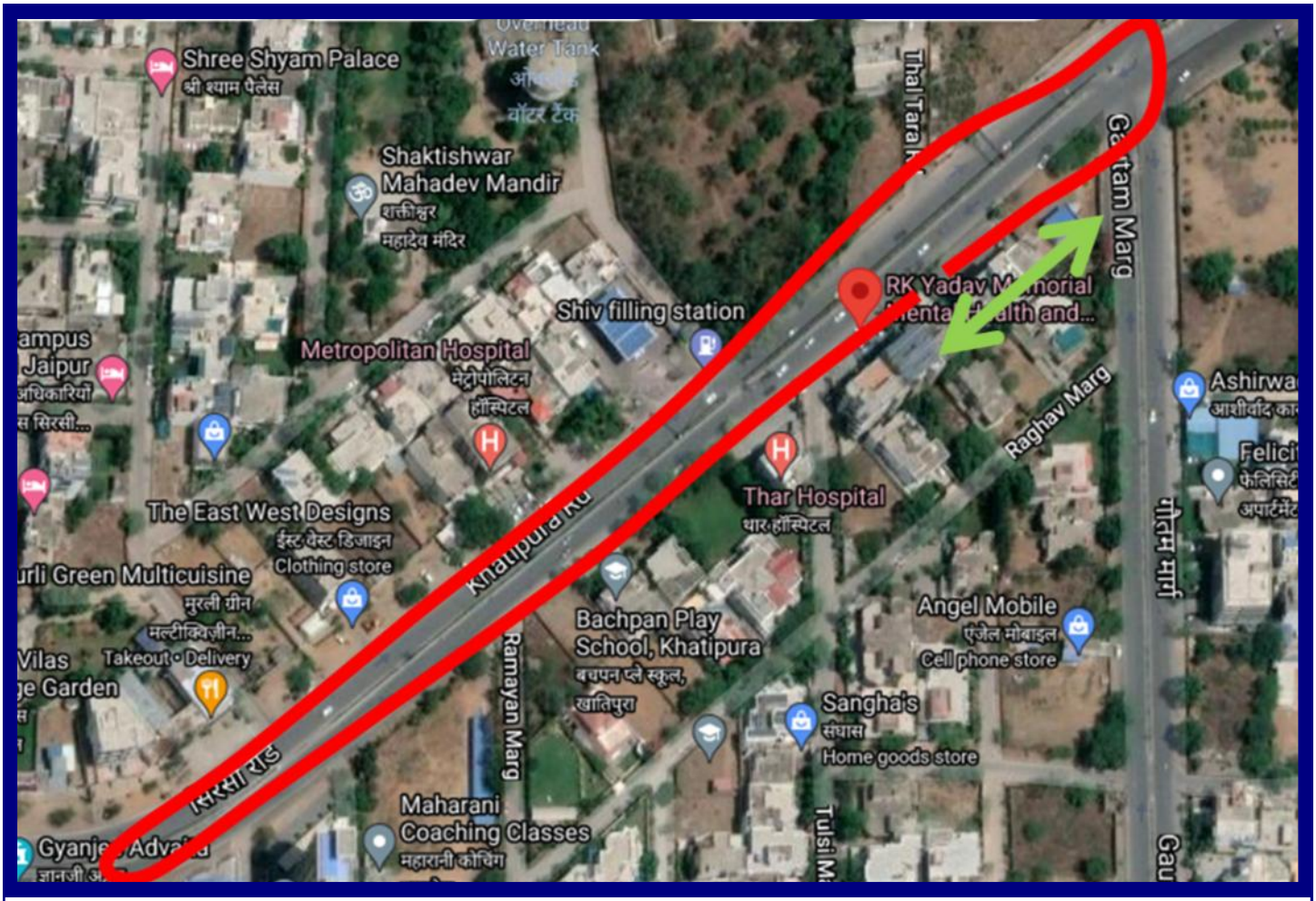

क्या है आबकारी विभाग के सुगम यातायात का खेला?

ऊपर बताए गए चित्र मे, हरे रंग से बताई गयी दूरी के अनुसार शराब की दुकान से अस्पताल की दूरी 200 मीटर से कम स्थित है लेकिन दूरी नापने के लिए आबकारी विभाग; सुगम यातायात का जो खेल खेलता है उसमे वह अस्पताल से सड़क-सड़क चल कर, निकटतम डिवाइडर/मोड से घूम कर वापस दुकान तक की दूरी को नापता है|जिसे हमने लाल रंग से बताया गया है|

चूंकि इस पूरे खेल को जिला आबकारी अधिकारी को बताकर खेला जाता है लिहाजा इस खेल मे आबकारी इंस्पेक्टर से लेकर जिला आबकारी अधिकारी तक शामिल होते है|अब यह तो आप लोग भली भांति जानते है कि यह पूरा खेल किसी गरीब आदमी की भलाई के लिए तो खेला नहीं जाता,लिहाजा शराब ठेकेदार द्वारा एक मोटी रकम इसके बदले अधिकारियों की जेब मे सरकायी जाती है|

सुगम यातायात का यह खेल आबकारी अधिकारियों के लिए तुरुप का इक्का है जिसे यह लगभग हर उस दुकान की लोकेशन पास करने के लिए करते है जिसके 200 मीटर मे अस्पताल,धार्मिक स्थल और स्कूल कॉलेज होते है|राज्य मे ऐसी अनगिनत दुकाने है जिनके 200 मीटर के दायरे मे अस्पताल,स्कूल,धार्मिक स्थल मौजूद है लेकिन अधिकारियों और ठेकेदारों की साँठ गांठ से बदस्तूर चल रहे है|

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

हाईकोर्ट ने पूछा, अस्पतालों व स्कूलों के पास शराब की दुकान कैसे खुल रही हैं

जयपुर | हाईकोर्ट ने शहर के सिरसी रोड पर अस्पतालों व स्कूलों के पास शराब की दुकान खोलने पर प्रमुख वित्त सचिव, आबकारी आयुक्त, जिला आबकारी अधिकारी और शराब ठेकेदार से जवाब देने के लिए कहा है। अदालत ने इनसे पूछा है कि ये दुकानें कैसे खोली जा रही हैं। साथ ही राज्य सरकार को कहा है कि यदि ये दुकान वैध प्रावधान के विपरीत जाकर खोली हैं तो इन्हें शिफ्ट करने पर भी विचार किया जाए। अवकाशकालीन जस्टिस महेंद्र गोयल ने यह अंतरिम निर्देश जगदीश साहू व अन्य की याचिका पर दिया। अधिवक्ता आशीष शर्मा ने बताया कि हनुमान नगर विस्तार, सिरसी रोड पर करीब डेढ़ सौ मीटर में एक नशा मुक्ति केन्द्र सहित चार अस्पताल और कक्षा 6 से 12 के विद्यार्थियों का कोचिंग सेंटर है। जिसमें अधिकांश लड़कियां पढ़ती हैं। लेकिन फिर भी इन संस्थाओं के बीच में राज्य सरकार ने शराब ठेकेदार को लाइसेंस दे दिया है। जबकि नियमानुसार शैक्षणिक संस्थान व अस्पतालों के पास शराब की बिक्री नहीं हो सकती है। याचिका में शराब खरीद का ब्यौरा पेश कर बताया कि शराब ठेकेदार तय समय के बाद भी शराब बेच रहा है। प्रार्थियों ने इस संबंध में सीएम सहित आबकारी विभाग के अन्य अफसरों को भी शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पहुंचा इस शराब की दुकान का मामला,न्यायालय ने दुकान हटाने या सुसंगत जवाब प्रस्तुत करने के दिये अन्तरिम आदेश|

सवाल यह है कि आम आदमी को तो विभाग के अधिकारी सुगम यातायात का खेल समझा देते है परंतु क्या माननीय उच्च न्यायालय को भी यह खेल समझने की हिमाकत करेंगे?

बहरहाल एक जागरूक नागरिक जगदीश साहू से आबकारी अधिकारियों की यह दादागिरी देखी नहीं गयी और उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली गयी|माननीय न्यायालय द्वारा इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रमुख वित्त सचिव,आबकारी आयुक्त,जिला आबकारी अधिकारी औरे शराब ठेकेदार से जवाब मांगा गया है साथ ही यह भी कहा है कि अगली सुनवाई तक यदि यह दुकान वैध प्रावधानों के विपरीत खोली गयी है तो इसे शिफ्ट किया जाए|

क्या हटेगी यह अवैध दुकान?

देखना यह है कि माननीय न्यायालय के नोटिस पर जिम्मेदार आबकारी अधिकारी इस दुकान को हटाते है या फिर माननीय न्यायालय को सुगम यातायात का गूढ अर्थ समझाते है|

क्रम	जिम्मेदार अधिकारी	नाम
1	जिला आबकारी अधिकारी	श्री सुनील भाटी
2	अतिरिक्त जिला आबकारी	श्री गिरवर शर्मा
3	आबकारी निरीक्षक	श्रीमति इन्दु यादव

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 6607/2021

S.B. Civil Misc. Stay Application No.6319/2021

Jagdish Sahu & Ors.

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan & Ors.

----Respondents

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

For Petitioner(s) : Mr. R.B. Mathur through VC
Mr. Ashish Sharma through VC

For Respondent(s) :

HON'BLE MR. JUSTICE MAHENDAR KUMAR GOYAL (V.J.)

Order

25/06/2021

Issue notice to the respondents of the writ petition as well as stay application. Notices may be given 'dasti' to the learned counsel for the petitioners for service.

List the matter on 02.07.2021.

In the meanwhile, the respondents may consider shifting of the shop in question at appropriate place in case its present location is found to be in violation of the statutory provisions/norms.

(MAHENDAR KUMAR GOYAL (V.J.)),J

Sudha/47

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

ठेकेदार का आदमी रात को 8 बजे शराब बेचते हुए|

ग्राहकों को शराब पीने/प्रलोभन देने पर रोक के बावजूद इस दुकान पर लगा सस्ती शराब का इश्तेहार, शराब ठेकेदार की दबंगयी को दर्शा रहा है|जबकि जिला आबकारी अधिकारी आदेश निकाल कर ऐसी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा करने वालों के और उनको शह देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की बात कह रहे है|

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर शहर

क्रमांक :– बंदोबस्त/जिआअ/21–22/ 4121 दिनांक :– 23.06.2021

आबकारी निरीक्षक,
वृत्त जयपुर शहर पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण/दक्षिण–पूर्व/झोटवाडा/सांगानेर।

विषय :– वृत्त क्षेत्र में स्वीकृत मदिरा दुकानात में मदिरा/बीयर के एमएसपी से कम राशि पर बेचान के खिलाफ कार्यवाही किये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के संज्ञान में आया है कि अधिकतर मदिरा अनुज्ञाधारियों द्वारा उनके द्वारा संचालित मदिरा दुकानात पर मदिरा/बीयर का एमएसपी से कम कीमत पर बेचान किया जा रहा है जिससे अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढावा मिलने के साथ साथ आस पास की मदिरा दुकानात के व्यवसाय पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस बाबत इलेक्ट्रोनिक मिडिया में भी खबरों का प्रकाशन हो चुका है। अतः इस संबंध में आपको निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि आपके वृत्त में संचालित समस्त मदिरा दुकानात की औचक जांच कर जहां कहीं भी मदिरा/बीयर का एमएसपी से कम पर बेचान पाया जावे, आबकारी अधिनियम के अनुसार कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करें। साथ ही सुनिश्चित किया जावे कि वृत्त में कहीं भी एमएसपी से कम पर मदिरा/बीयर का बेचान नहीं किया जावे। यदि आपके वृत्त में औचक जांच के दौरान एमएसपी से कम पर बेचान पाया जाता है तो आपकी लाई जावेगी।

जिला आबकारी अधिकारी का आदेश,जिसमे वह सभी आबकारी निरीक्षकों को औचक निरीक्षण कर,एमएसपी से कम मे बेचने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने अन्यथा उसके विरुद्ध कार्यवाही करने की बड़ी-बड़ी बातें कर रहे है|

(सुनील भाटी)
जिला आबकारी अधिकारी,
जयपुर शहर

क्रमांक :– वाद/जिआअ/21–22/4122 दिनांक :– 23.06.2021

प्रतिलिपि :–सहायक आबकारी अधिकारी जयपुर शहर प्रथम/द्वितीय को पालना सुनिश्चित करवाने हेतु प्रेषित है।

जिला आबकारी अधिकारी,
जयपुर शहर

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com